

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

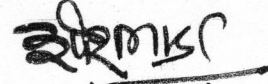
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3/(एम-53-आर/94)/अलेसे-II/ 771

दिनांक:- 01/11/2021

कार्यालय आदेश

श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 15.12.2020 को रुपये 2000/- की रिश्त मांगकर प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया एवं उनके विरुद्ध प्रथम रिपोर्ट संख्या 317/2020 पंजीबद्ध होने पर विभागीय आदेश 729-39 दिनांक 22.12.2020 द्वारा निलम्बित किया गया। श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के निलम्बन को 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री वाधवानी ने अपने आवेदन दिनांक 27.09.2021 द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। अतः राजस्थान सेवा नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 15.12.2020 से 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3/(एम-53-आर/94)/अलेसे-II/ 771

दिनांक:- 01/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, जैसलमेर।
3. जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) मुख्यालय कोषालय जैसलमेर।
6. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)